न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 96/2019

1 शिवकरण पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी सहारणों की ढाणी तन लुणा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 बीरबलराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी सहारणों की ढाणी तन लुणा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं हाल निवासी किसान कॉलोनी गेट के अन्दर पानी के टंकी के पास झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 मनीराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी सहारणों की ढाणी तन लुणा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
3 'मृतका' लक्ष्मी पत्नी लालाराम जाति जाट निवासी सहारणों की ढाणी तन लुणा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं – दौराने अपील दिनांक 27.05.2021 को देहान्त हो गया।
3/1 कुनणी पुत्री लालाराम पत्नी चन्दगीराम जाति जाट निवासी मारिगसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3/2 कमला पुत्री लालाराम पत्नी स्व. मोहरसिंह जाति जाट निवासी हमीरीकलां तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4 'मृतका' परमेश्वरी पत्नी मामराज जाति जाट निवासी सहारणों की ढाणी तन लुणा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं नोट– दौराने अपील दिनांक 15.07.2019 को देहान्त हो गया।
5 विद्याधर पुत्र
6 रामप्रकाश पुत्र
7 मानसिंह पुत्र
8 सुभाष पुत्र मामराज जाति जाट निवासी सहारणों की ढाणी तन लुणा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
9 मनिल पुत्री मामराज पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी भड़ीया की ढाणी तन सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
10 गंगा पुत्री मामराज पत्नी नरेन्द्र जाति जाट निवासी झटावा खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं जरिये मैनेजर।
12 पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं जरिये मैनेजर।
13 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मुकदमा उनवानी शिवकरण बनाम बीरबल वगै. मु.नं. 11/2019 निर्णय दिनांक 17.12.2019 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नफीस अहमद खान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 4/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 11/2019 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 रास्थान काश्तकारी अधिनियम व अ.आ. 39 नियम 1 व 2, धारा 151 सीपीसी बाबत भूमि खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भू-प्रबन्ध सीकर

नम्बर 402, 403, 319, 323, 378, 379, 390, 393, 401, 377, 380, 381, 382, 383, 384 वाके ग्राम लुणा तहसील मलसीसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग आदेश नहीं है ना तो प्रथम दृष्टया बिन्दु का विश्लेषण किया ना ही सुविधा के संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु को विश्लेषण किया। विचारण न्यायालय ने मात्र आदेशिका में स्थगन आदेश निरस्त करने का आदेश कर दिया जो कानून की मंशा के विपरित है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खसरा नम्बर 377 में मनीराम आबद है तथा खसरा नम्बर 381, 382 में अपीलार्थी आबाद है फिर भी विचारण न्यायालय में स्थगन आदेश निरस्त करने में गलती कानूनी की है। उक्त भूमि क्रय करते समय बीरबल व विद्याधर अवयस्क थे व संयुक्त परिवार की आय से उक्त भूमि खरीदी गई थी जिसका प्रतिफल लालाराम व मामराज ने दिया था इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने ना ही गौर किया ना ही विश्लेषण किया। विचारण न्यायालय ने बिना कोई आधार दर्शित किये स्थगन आदेश निरस्त किया है जो गलत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने 1965 के विक्रय पत्र को विचाराधीन प्रकरण से 54 साल बाद चुनौती दी है। अप्रार्थी संख्या 4, 6, 7, 8, 9, 10 ने कोई एतराज नहीं किया है। विक्रय पत्र के समय रेस्पोडेन्ट बालिग था। लालाराम की मृत्यु वर्ष 2000 में हुई है। मामराज की मृत्यु 1965 में हो गई थी। विवादित भूमि स्वअर्जित है। परिवार की सहदायिकी सम्पदा नहीं है। अपीलांट द्वारा विक्रय पत्र को आदिनांक तक सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। रेस्पोडेन्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलांट का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018(2) पेज 1275 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रालवी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट का कथन रहा है कि विक्रय पत्र के समय केता नाबालिग था। केता की आय का कोई साधन नहीं था। विवादित भूमि संयुक्त परिवार की आय से कय की गई थी। विवादित भूमि पर अपीलांट मकान बनाकर आबाद है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि खुर्द–बुर्द नहीं हो एवं पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय को ताफैसला वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए थी। विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को ताफैसला वाद ग्राम लुणा की भूमि खसरा नम्बर 397, 380, 381, 382, 383, 384 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

( अनिल कुमार )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर